



## आगरा विकास प्राधिकरण

नि.सू- 12/2011-12

### अल्पकालीन निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र शासित/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/आगरा विकास प्राधिकरण, के कार्यो का कम से कम चार वर्षो के समान प्रकृति के कार्यो का अनुभव रखने वाले ठेकेदारों/फर्मों से सिंगल बिड एवं डबल बिड (टेक्नीकल बिड एण्ड फाइनेंशियल बिड) में सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। कार्यो हेतु निविदायें **कॉलम-7** में अंकित तिथि को **अपराह्न 3:00 बजे तक** विकास प्राधिकरण, जयपुर हाऊस स्थित अधीक्षण अभियंता कक्ष, वित्त नियंत्रक कक्ष एवं सचिव कार्यालय, आगरा में रखे निविदा बॉक्स में प्राप्त की जायेगी। सिंगल बिड के आधार पर प्राप्त निविदा अथवा विद लिफाफा पध्दति से सम्बन्धित निविदाओं की टेक्नीकल बिड **उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे** उपस्थित निविदादाताओं, निविदा समिति के समक्ष प्राधिकरण सभागार में खोली जायेगी एवं प्राइस बिड कॉलम-8 में अंकित तिथि को **अपराह्न 3:30 बजे** खोली जायेगी:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अग्रिम धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्राप्ति/सिंगल बिड/टेक्नीकल बिड खोलने का दिनांक	प्राइस बिड खोलने का दिनांक	शासनादेश के अनुसार आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	देवनगर कालोनी में सड़क व नाली निर्माण/सुदृढीकरण का कार्य (पेवर द्वारा)	26.87	54000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
2.	उमा कुज गली नं०-1 से लेकर बाबरपुर पुलिया तक नाली एवं सड़क निर्माण कार्य	39.69	80000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
3.	नेशनल हाइवे रायल पब्लिक स्कूल के समीप श्री नगर कालोनी का मेन रोड (हीरा सदन से लेकर नरायच मोड़ तक) सड़क निर्माण कार्य (पेवर द्वारा)	39.36	80000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
4.	ग्राम रूनकता, मुस्लिम बस्ती में नालियों/सड़क का निर्माण कार्य	38.46	77000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
5.	ग्राम रूनकता में ठाकुर बस्ती में नालियों/सड़क का निर्माण कार्य	35.96	72000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
6.	आगरा स्थित आगरा-मथुरा बाईपास से गैलाना डॉ० एस०एच० अशोपा हॉस्पिटल तक मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य (पेवर द्वारा)	37.40	75000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
7.	आगरा हाथरस मार्ग पर श्याम नगर में प्रकाश जनरेटर से मुकुट सिंह के मकान तक व साइड की तीन लिंक गलियों में नाली/सड़क का निर्माण कार्य	36.88	74000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
8.	दुर्गा नगर में गोविन्द इण्टर कालेज के समीप तथा अकाश अस्पताल एवं बसंल मेडीकल के मध्य सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	26.78	54000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
9.	बालाजी नगर में इण्टर लोकिंग टाइल्स तथा नाली निर्माण कार्य (पार्ट-ए)	52.84	106000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
10.	एन०एच०-2 सर्विस रोड से कौशलपुर चौराहा होते हुये पिप्पल साहब के हॉस्टल तक एवं कौशलपुर चौराहे से अम्बेडकर बगीची होते हुये बसंल मार्बल तक सड़क व नाली निर्माण एवं सड़क सुदृढीकरण का कार्य	40.05	81000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
11.	अमर विहार पुलिस चौकी 100' रोड से मकान नं०-1 से राजश्री गार्डन तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य (पेवर द्वारा)	26.80	54000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
12.	बालाजी नगर के समीप यादव कालोनी में सड़क व नाली निर्माण कार्य	33.81	68000	1000	4 माह	5-9-2011	7.9.2011	
13.	फतेहपुर सीकरी में स्थित वार्ड सं०-24 एवं 25 का अवशेष विकास कार्य	75.00	150000/-	1000/-	5माह	5-9-2011	7.9.2011	
14.	अम्बेडकर नगर टेडी बगिया स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण का कार्य	39.24	80000/-	1000/-	3 माह	5-9-2011	7.9.2011	

- सम्बन्धित कार्य हेतु **निविदा प्रपत्र कालम-7** में अंकित निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक अपराह्न **2.00 बजे** तक प्राधिकरण कार्यालय स्थित, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में निविदा मूल्य जमाकर सभी सम्बन्धित **अधिशाली अभियन्ता के कार्यालय** से प्राप्त किये जा सकेंगे।
- निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व निर्धारित अग्रिम धनराशि एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० (राष्ट्रीयकृत बैंक) के रूप में जमा करनी आवश्यक होगी। एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० **अधिशाली अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। सिंगल बिड के कार्य हेतु** विभाग में पंजीकृत होने सम्बन्धी प्रमाण अनिवार्यतः देना होगा। निविदा मूल्य जमा करने की रसीद प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र निर्गत किया जायेगा। प्राधिकरण में पूर्व से उपलब्ध अथवा अवमुक्त की जा चुकी किसी प्रकार की जमानत अथवा धनराशि का उल्लेख करके निविदा प्रपत्र प्राप्त नहीं किये जा सकेंगे। अग्रिम जमानत धनराशि जो एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० के रूप में होगी फर्म/प्रोपराइटर/पार्टनर के नाम होना अनिवार्य होगा। (नियम शर्त संख्या-2 सिंगल बिड की निविदाओं पर ही लागू होगी।)
- निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि निविदा देने से पूर्व निविदा आइटम, रेट, मात्रा व कार्य स्थल की स्थिति एवं दशाओं का भली-भाँति निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन कर लें, निविदा देने के उपरान्त कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य न होगा। किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के पक्ष में सुरक्षित रहेगा जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। निविदा दरें निविदा तिथि से तीन माह तक वैध रहेंगी।
- अनुबन्ध हेतु **10 प्रतिशत** जमानत धन एवं स्टाम्प ड्यूटी (स्टाम्प पेपर जिला कोषागार से ही खरीद कर) नियमानुसार देय होगी। ठेकेदार के देयकों से प्रभावी व्यापार कर, आयकर, सरचार्ज, रायल्टी एवं उ०प्र० शासन द्वारा लागू अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जाएगी।

6. निर्धारित तिथि को अवकाश हो जाने की स्थिति में निविदायें अगले कार्य दिवस को स्वतः निर्धारित मानी जायेंगी।
7. वर्तमान में जिन ठेकेदारों के पंजीकरण का नवीनीकरण हो चुका है वही ठेकेदार निविदा खरीदने के पात्र होंगे।
8. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ता विनियमन) अधिनियम,1996 तथा प्रदेश नियमावली वर्ष 2009 के अर्न्तगत अधिष्ठानों के पंजीयन 30 दिन में होना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दाता द्वारा दी गई दरों को अंकों व शब्दों में स्पष्ट निर्धारित स्थान पर लिखा जायेगा। दरों पर ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
10. आपूर्तिकर्ता (फर्म) द्वारा अग्निशमन विभाग एवं विद्युत संरक्षण विभाग से आवश्यक एन.ओ.सी. स्वयं प्राप्त करनी होगी।
11. विद्युत कार्यों के लिये विद्युत सुरक्षा निदेशालय से "क" श्रेणी अनुमोदित एवं नवीनीकृत लाइसेंसधारियों के लिये निविदा निर्गत होगी।
12. ओवर हैड लाईन एवं ट्रान्सफार्मर सम्बन्धी कार्य नियमानुसार सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा से कार्य समाप्ति उपरान्त प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा।
13. प्लान्ट कार्य के लिये प्लान्ट धारकों को अपने स्वामित्व के प्रमाणस्वरूप अभिलेख/बिल निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार प्रमाण/बिल प्रस्तुत करने एवं **प्लान्ट के सम्बन्ध में टी.टी.जैड क्षेत्र से बाहर होने का** शपथपत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।
14. प्लान्ट से सम्बन्धित सभी आवश्यक उपकरण ट्रिपर,,रोलर, वैच मिक्स प्लान्ट आदि जो स्वयं के हों, बिल प्रस्तुत करने होंगे।
15. साइनेज के कार्यों हेतु निविदादाता द्वारा डायमण्ड ग्रेड फुल क्यूब-3 पॉली कार्बोनेट टाइप XI ASTM D 4956-09 रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट के निर्माता ( 3M India Ltd., Every dennison अथवा इनके समकक्ष) द्वारा जारी कनवर्टरशिप एवं 10 वर्षों का वारन्टी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो मूल रूप से प्रस्तुत करने पर ही निविदा पत्र जारी किया जायेगा।
16. विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था के निर्माण कार्यों का रखरखाव फर्म को एक वर्ष तक करना होगा जिसके सन्तोषजनक होने के उपरान्त ही जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

**(आर.सी.रावत)**  
**अधीक्षण अभियन्ता**